प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 13.06.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 05 वर्ष के सश्रम कारावास की सुनायी गयी सजा तथा 50,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में थाना फ्रेंड्स कॉलोनी व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 05 वर्ष के सश्रम कारावास की सुनायी गयी सजा तथा 50,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 14.07.2022 को अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र गोरेलाल कुशवाहा निवासी तुलसीनगर थाना फ्रेंडस कालोनी के कब्जे से 3 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद होने के संबंध में थाना फ्रेंडस कालोनी पर **मु0अ0सं0 249/2022 धारा 8/20 NDPS एक्ट** पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 श्री संजय सिंह द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस टीम, पैरोकार का0 रजत कुमार एवं मानीटरिंग सैल व एडीजीसी श्री योगेन्द्र परिहार द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को **आज दिनांक 13.06.2024 को अन्तर्गत धारा 20(ख) NDPS ACT में मा0 न्यायालय स्पे0 जज डकैती कोर्ट-7/एनडीपीएस इटावा द्वारा 05 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा तथा 50,000-/ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **मनोज कुमार पुत्र गोरेलाल कुशवाहा निवासी तुलसीनगर थाना फ्रेंडस कालोनी जनपद इटावा।**